

न्यायालयः गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

आपराधिक प्रकरण क्रमांक-2340/2014
संस्थापन दिनांक-30.12.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियोजन
बनाम

रामकृष्ण पुत्र सोबरन जाटव उम्र 25 वर्ष
निवासी धीरसिंह का पुरा थाना गोरमी जिला
भिण्ड म.प्र.

-----अभियुक्त

// अध्याय 21 द0प्र0सं0 के अधीन संक्षिप्त विचारण //

:-अपराध विवरण:-
अंतर्गत धारा 251 द.प्र.सं

मैं, गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड,
आप आरोपी रामकृष्ण पुत्र सोबरन जाटव को निम्नलिखित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाता
व समझाता हूँ कि :-

- 1 आपने दिनांक 11.06.14 को 20:25 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड बिरखड़ी से आगे नहर वाली
पुलिया के पास थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के
25 क्वार्टर देशी मदिरा रखी जो धारा 34 (1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

आपका उक्त अपराध उपरोक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के
संज्ञान में है मैं एतद् द्वारा निदेश देता हूँ कि आपके उक्त अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा
किया जावे ।

सही / -

गोपेश गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड

अभियुक्त का अभिवाक- अंतर्गत धारा 251 द.प्र.सं

सही / -

गोपेश गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड

निर्णय

(आज दिनांक 21.02.2017 को पारित किया गया)

1. आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा धारा 34

(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।

2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
धारा 34 (1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम	न्यायालय उठने तक का	एक हजार रुपये	पांच दिवस

3. प्रकरण में जप्त मदिरा अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

सही /—

गोपेश गर्ग
जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड